न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 08/2020 (अपील)

घांसी आत्मज कंवरलाल जाति धाकड निवासी गादिया तहसील रामगंमण्डी जिला कोटा

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 22.10.2019 मि0नं0 86/2019 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः–26.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम गादिया की भूमि खसरा नम्बर 327 की 0.25 हे0 किस्म चारागाह में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 86/2019 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 100/– रूपये का शास्ति व 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 22.10.2019 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 21.01.2020 को पेश की गई है कि अदालत मातहत का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने के कारण निरस्तनीय हैं। अदालत मातहत ने आसपास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किये बिना व शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर हुक्म जैर अपील पारित करने में त्रुटि की हैं। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को द्वितीय अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना सिविल कारावास की सजा से सजायाब करने में त्रुटि की हैं। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना मात्र कयास के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिती में हुक्म जेर अपील पारित किया हैं। जो खारिज होने योग्य हैं। अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा कर दी हैं तथा अपीलान्ट का भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हैं व अपीलान्ट ने कब्जा छोड दिया हैं। अदालत मातहत ने हुक्म जेर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिती में पारित किया हैं। जिसका सर्व प्रथम ज्ञान पुलिस द्वारा अपीलान्ट को गिरफ्तार करने गांव में आने पर व गिरफ्तार करने व जमानत कराने पर हुआ। इस पर दिनांक 30.12.2019 को अपीलान्ट ने अदालत

Scanned by CamScanner

मातहत के निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 09.01.2020 को ही निर्णय की नकल प्राप्त हुई और नकल लेकर अपने गांव चला गया और अपील के खर्चे के लिये रूपयों का इन्तजाम कर आज यह अपील अवीलम्ब प्रस्तुत की जा रही हैं। इस प्रकार जानकारी की तिथी से नकल के दिन एवं अपील के खर्चे हेतु लगने वाले दिन को मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश हैं।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अदालत मातहत ने आसपास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किये बिना व शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर हुक्म जैर अपील पारित करने में त्रुटि की हैं। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को द्वितीय अतिक्रमी का नोटिस दिये बिना सिविल कारावास की सजा से सजायाब करने में त्रुटि की हैं। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना मात्र कयास के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिती में हुक्म जेर अपील पारित किया हैं। जो खारिज होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम गादिया की भूमि खसरा नम्बर 327 की 0.25 हे0 किस्म चारागाह में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है। अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा कर दी हैं तथा अपीलान्ट का भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं हैं व अपीलान्ट ने कब्जा छोड दिया हैं। तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत कथन किया । इसलिए अपील स्वीकार की जावें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.10.2019 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 21.01.2020 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 22.10.2019 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 30.12.2019 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। इसलिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।

7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि घांसी आत्मज कंवरलाल जाति धाकड निवासी गादिया तहसील रामगंमण्डी जिला कोटा ने ग्राम गादिया की भूमि खसरा नम्बर 327 की 0.25 हे0 किस्म चारागाह में अनाधिकृत कब्जा काश्त किया है। इनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 100/– रूपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

Scanned by CamScanner

8. अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा की जावें कि अतिक्रमी ने वास्तव में कब्जा हटा लिया है तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है। कब्जा नहीं हटाया जाने की स्थिति में नियमानुसार सजा का आदेश यथावत रहेगा और तहसीलदार अतिक्रमी को सजा भुगताएगा ।

10. निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)

जिला कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner